

**परिशिष्ट- VI**  
**नाम निर्देशन (मनोनयन) प्रपत्र – राज्य बीमा**  
**(देखिए नियम 34 तथा 36)**

मैं .....पुत्र / पुत्री श्री.....  
जो राज्य बीमा विभाग, राजस्थान पॉलिसी प्रमाण पत्र संख्या.....के अधीन बीमाकृत व्यक्ति हूँ,  
इसके द्वारा:-

(1) पूर्व में मेरे द्वारा मेरे / मेरी .....  
( नाम निर्देशिति से आपके सम्बन्ध का उल्लेख कीजिए)  
श्री / श्रीमती .....आयु.....वर्ष के पक्ष में नाम निर्देशन  
रद्द करता हूँ / करती हूँ।

(2) मेरे / मेरी .....(सम्बन्ध) श्री / श्रीमती / कुमारी .....  
..... आयु.....वर्ष को अपना नाम निर्देशन नियुक्त करता हूँ / करती  
हूँ।

(3) श्री / श्रीमती / कुमारी ..... (सम्बन्ध).....जो .....  
..... के नाम निर्देशिति के वयस्क होने तक उसका अभिभावक नियुक्त करता  
हूँ / करती हूँ।

मेरे समक्ष हस्ताक्षरित

बीमाकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर  
दिनांक.....  
स्थान .....

उच्चाधिकारी के हस्ताक्षर तथा  
उसके पदनाम की मुहर

(राजपत्रित होने की दशा में उसके हस्ताक्षर किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित किये जाने चाहिए) टिप्पणी :- जो लागू ना हो उसे काट दें।

बीमाकृत व्यक्ति के पति / पत्नि / पुत्र / पुत्री / माता / पिता / बहिन के अलावा कोई व्यक्ति बीमा निदेशक की पूर्व स्वीकृति के बिना नाम निर्देशिति नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।